FAX : 011-3012432 (N.B.)
011-3013142 (E.O.)
011-4624821 (L.N.B.)
011-4360862 (Trg. Div.)
011-4361230 (P.E S.B.)
Telex : 62826 (N.B.)
66366 (Trg. Div.)

संख्या-11013/5/97-स्था0 (क)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
नई दिल्ली दिनांक 7 जून, 1999
NEW DELHI

कार्यालय ज्ञापन
OFFICE MEMORANDUM

विषय:- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रोजगार देने की मनाही - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, गैर सरकारी संगठनों तथा प्रचार माध्यमों के द्वारा इस आशय की दु:खद रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं कि बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाकर और उन्हें घरेलू नौकर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है । उनसे अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा अधिक समय तक काम लिया जाता है । आयोग ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोज़गार पर रखे जाने की निन्दा की है और इस बात पर बल दिया है कि उनके विकास-काल के दौरान उन्हें शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ।

2. बाल मजदूरी गम्भीर स्वरूप का शोषण है । इससे बच्चे का बचपन छिन जाता है । उसका विकास अवरूद्ध हो जाता है । उसका स्वास्थ्य और शिक्षा दाँव पर लग जाते हैं । इस मामले से जुड़ी संवेदनशीलता तथा इस प्रकार से नियोजित बच्चों के बहुविध जरूरतों से वंचित रहने के मद्देनज़र, सभी सरकारी कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को अपना घरेलू नौकर न रखें ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इसे, कड़े अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें ।

शाश्वती बन्दोपाध्याय,
(श्रीमती एस0 बन्दोपाध्याय)
निदेशक

प्रति प्रेषित :-

1. सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ।

.....2/-

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

3. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

4. संघ-लोक-सेवा-आयोग, नई दिल्ली ।

5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।

6. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

7. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

8. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय

9. गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।

10. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।

शाश्वती बन्द्योपाध्याय

(श्रीमती एस० बन्दोपाध्याय)
निदेशक